

राजस्व वाद संख्या 111/2025

GCMS NO. 2025/264

हनीफ वगै० बनाम सुनिल वगै०

आदेश दिनांक 19.11.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)

पीटासीन अधिकारी:-सुमन देवी

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञाप्राथमिक डिक्रीमुकदमा नम्बर :-111/2025 (हनीफ वगै० बनाम सुनिल वगै०)


निर्णय दिनांक :-19.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरु, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.11.2025 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम डाबड़ी धीरसिंह की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 878 रकबा 6.19 है० भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को 1000/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.11.2025 को जारी की गई।




(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर